FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0128 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 15/05/2026 21:11 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 07/05/2026 **Date To (दिनांक तक):** 12/05/2026

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:30 बजे **Time To (समय तक):** 17:04 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 15/05/2026 **Time (समय):** 20:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 15/05/2026 21:11:47 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 430 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** KARAYALAY RAJYA BEEMA AVM PRAVDHAYI NIDHI VIBHAG, UDAIPUR

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SATISH JAIN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAGHUNATH SINGH JAIN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1967 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	**Address Type (पता का प्रकार)**	**Address (पता)**
1	वर्तमान पता	34, KALIKA MATA ROAD PAHARA, PARTAP COLONY, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	34, KALIKA MATA ROAD PAHARA, PARTAP COLONY, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Alias (उपनाम)**	**Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)**	**Address (पता)**
1	SHEKHAR MATHURIYA		पिता:BUDDHDILAL	1. DARU KUTA MOHALLA,डीग, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	**Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)**	**Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)**	**Description (विवरण)**	**Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))**
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	500-500 रूपये के 80 नोट कुल 40,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा एवं 500-500 रूपये के 120	1,00,000.00

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	चिल्ड्रन नोट (डमी नोट) कुल 60,000 रूपये इस प्रकार कुल 1,00,000	1,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

कार्यवाही पुलिस वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 07.05.2026 को समय करीब 1.30 पी.एम. पर परिवादी श्री सतीश जैन पुत्र श्री रघुनाथसिंह जैन निवासी 34 प्रताप कॉलोनी कालिका माता रोड़ पाहड़ा उदयपुर हाल अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जोधपुरिया पंचायत समिति कुराबड़ जिला उदयपुर ब्यूरो कार्यालय इन्टे उदयपुर पर उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आषय की प्रस्तुत की कि ‘‘निवेदन है कि मेरी भांजी श्रीमती निलम चितोड़ा चितोड़ा जो कि अध्यापिका के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय धामधर पंचायत समिति गिर्वा जिला उदयपुर में पदस्थापित थी जिसकी मृत्यु दिनांक 01.11.25 को हो जाने से उनका नियमानुसार षिक्षा विभाग द्वारा राज्य बीमा क्लेम हेतु प्रकरण संयुक्त निदेशंक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उदयपुर में लगभग दो माह पूर्व भिजवाया गया था। उसके बाद अप्रेल 2026 में श्री शेखर मथुरिया बीमा विभाग उदयपुर द्वारा मेरे भांजी के पुत्र श्री हार्दिक को फोन कर बीमा विभाग उदयपुर में मिलने हेतु कहा जिस पर मेरे भांजे द्वारा उनको मेरे नम्बर दिये तत्पश्चात्श्री शेखर मथुरिया द्वारा दिनांक 23.04.26 को मुझे फोन किया और मुझे बीमा विभाग उदयपुर में मेरी भांजी श्रीमती नीलम चितोड़ा एस.आई. क्लेम पास कराने के सम्बन्ध में मिलने हेतु कहा जिस पर मैं दिनांक 27.04.2026 को बीमा कार्यालय गया और श्री शेखर मथुरिया से मिला तो उन्होने मुझे कहा कि आज मैं व्यस्त हू तथा एक-दो दिन बाद मैं आपको जब भी फोन करू तब आना तब बाहर मिलकर बात करते है। इसके बाद दिनांक 29.04.2026 को श्री शेखर जी का मेरे पास फोन आया और मुझे बुलाया जिस पर मैं बीमा विभाग में गया और श्री शेखर जी से ऑफिस के बाहर मिला तो उन्होने मेरी भांजी निलम चितोड़ा के राज्य बीमा क्लेम का भुगतान पारित कराने के बारे में कहा कि राज्य बीमा क्लेम में कुछ कमिया है तथा उनके राज्य बीमा क्लेम की राशि लगभग 19-20 लाख रूपये ही मिलेगी और मैं इसकी कमियां पूर्ण करके लगभग 34 लाख पच्चास हजार रूपये पास करवा सकता हू उसके लिये मुझे उपर की अधिक राशि का 50 प्रतिशत अनुसार 7,50,000 रूपये स्वयं के लिये और उपर के अधिकारियों को देने हेतु मांग की। इस पर मैंने कहा कि मेरे भांजी के बच्चे अभी छोटे है और इतनी राशि देना सम्भव नही है। श्री शेखर जी मथुरिया ने कहा कि आपके फायदा कराना है तो रूपये ले आना और मुझे यह राषि मेरे अकेले के लिये नही है आगे भी अफसरों को देनी होती है। मैंने कहा कि इतना बड़ा निर्णय मैं नही ले सकता, मैं इसके नाना नानी से बात कर आपको बताता हूँ यह कहकर मैं वापिस अपने घर आ गया। श्री शेखर मथुरिया द्वारा मांगी गई राशि के बारे में मैंने भांजी के पुत्र हार्दिक से बात की उसके द्वारा रिश्वत राशि देने से इंकार किया। उसके बाद भी श्री शेखर मथुरिया द्वारा एक-दो बार फोन किये गये। दिनांक 06.05.2026 को श्री शेखर मथुरिया ने मुझे फोन कर राज्य बीमा विभाग उदयपुर कार्यालय के बाहर आकर मिलने हेतु कहा जिस पर मैं राज्य बीमा कार्यालय उदयपुर के बाहर पहुचा और श्री शेखर मथुरिया को फोन किया जिसके बाद मैंने मेरे मोबाईल की रिकॉर्डिंग चालु कर मोबाईल को कार मे रख दिया कुछ समय बाद श्री शेखर मथुरिया उनके कार्यालय से बाहर आये और मेरी कार में बैठ गये। श्री शेखर मथुरिया द्वारा मेरी भांजी नीलम चितोड़ा के बीमा क्लेम की राषि पास कराने के लिये रिश्वत राशि लेने की बातचीत की उसके बाद उन्होने कहा कि मैं फाईनल राशि पुछकर आता हू और कार से उतरकर दूर जाकर फोन पर बात की और कुछ समय बाद वापिस आकर मेरी कार में बैठ गये और अन्त में एक लाख पचास हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। उक्त वार्ता मेरे मोबाईल फोन में रिकॉर्ड की गई। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मेरी भांजी के राज्य बीमा क्लेम की राषि पास करवाने हेतु श्री शेखर मथुरिया राज्य बीमा विभाग उदयपुर को रिश्वत राशि एक लाख पचास हजार रूपये रिश्वत राशि नही देना चाहते है और मैं और मेरी भांजी का पुत्र हार्दिक दोनो सलाह विचार विमर्श कर उसे एवं उसके उच्च अधिकारियों को रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहते है। मेरे व मेरे भांजी के पुत्र श्री हार्दिक से श्री शेखर मथुरिया का कोई उधार लेनदेन नही है तथा ना ही किसी प्रकार की कोई आपसी रंजिश है। रिपोर्ट कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।‘‘ मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री सतीश जैन द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा शब्द ब शब्द पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी द्वारा सही होना एवं प्रार्थना पत्र स्वयं की हस्तलिपी में लिखना एवं हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। परिवादी द्वारा अपनी पहचान के सम्बन्ध

में स्वयं का आधार कार्ड कार्ड पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। उक्त हस्तलिखित रिपोर्ट का अवलोकन करने से मामला रिश्वत राशि लेन देन का पाया गया। जिस पर परिवादी से दरियाफ्त की गई तो उसने बताया कि उसने उसकी ओर से पेष की गई रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मेरी भांजी श्रीमती नीलम चितोड़ा जो अध्यापिका थी तथा उसकी मृत्यु दिनांक 01.11.25 को होने पर शिक्षा विभाग द्वारा राज्य बीमा क्लेम का प्रकरण तैयार कर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उदयपुर को भिजवाया जा चूका है तथा उक्त राज्य बीमा क्लेम राशि पास करवाने की एवज में श्री शेखर मथुरिया राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उदयपुर के कार्मिक द्वारा स्वयं एवं उच्च अधिकारियों के लिये एक लाख पचास हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई है तथा दिनांक 06.05.2026 को श्री शेखर मथुरिया एवं श्री सतीश जैन के मध्य बीमा क्लेम पास करवाने की एवज में हुई रिश्वत राशि बातचीत को श्री सतीश जैन द्वारा अपने मोबाईल फोन में रिकॉर्डिंग की गई जो मोबाईल रिकॉर्डिंग वार्ता पुलिस निरीक्षक द्वारा सुना गया तो आरोपी द्वारा परिवादी से बीमा क्लेम राशि पास करवाने की एवज में एक लाख पचास हजार रूपये रिश्वत राशि मांग करने की ताईद हुई उक्त रिकॉर्डशुदा वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर से मोबाईल का कनेक्ट कर सुरक्षित सेव किया गया। इसके पश्चात् श्री सतीश जैन को पुलिस निरीक्षक द्वारा पुनः ब्यूरो की निशादेही से रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यवाही के बारे में समझाईश की गई तो श्री सतीश जैन ने बताया कि मैं स्वयं भी अध्यापक होकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय जोधपुरिया पंचायत समिति कुराबड़ जिला उदयपुर में पदस्थापित हू तथा मैं दो-चार दिन बाद अवकाश लेकर पुनः आपके कार्यालय में मेरे भांजी के पुत्र हार्दिक के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यवाही के लिये उपस्थित हो जाउंगा। तत्श्चात् समय करीब 02.15 पी.एम. पर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखे हुए डिजिटल टेप रिकॉर्डर को निकालकर पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु व बन्द करने की समझाईश की गई तथा कार्यालय में पदस्थापित श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी के मोबाईल नम्बर परिवादी को दिये जाकर अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी से सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया गया। बाद हिदायत श्री सतीश जैन को उसके मोबाईल में दिनांक 06.05.2026 को श्री शेखर मथुरिया के मध्य हुई रिश्वत राशि वार्तालाप को सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित कर कार्यालय से रूखसत किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 08.05.2026 को समय करीब 3.00 पी.एम. पर कार्यालय में उपस्थित श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी को पुलिस निरीक्षक द्वारा तलब कर परिवादी श्री सतीश जैन द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तथा परिवादी श्री सतीश जैन के मोबाईल नम्बर दलपतसिंह को दिये जाकर निर्देशित किया गया कि परिवादी श्री सतीश जैन द्वारा सम्पर्क करने पर कार्यालय से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड प्राप्त कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यवाही करवाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 11.05.2026 को समय करीब 04.04 पी.एम. पर परिवादी श्री सतीश जैन ने अपने मोबाईल से पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि आज मेरी भांजी निलम चितोड़ा का पुत्र श्री हार्दिक और मैं दोनो ही बीमा क्लेम की राशि पास करवाने के सम्बन्ध में बातचीत करने श्री शेखर मथुरिया राज्य बीमा विभाग उदयपुर में जायेंगे तथा उसी दौरान् श्री शेखर मथुरिया पुनः मेरे से रिश्वत राशि की मांग करेगा तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के बारे में परिवादी श्री सतीश जैन को आवश्यक हिदायत दी जाकर श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी को उससे सम्पर्क कर भिजवाने हेतु अवगत कराया जिस पर उसके द्वारा पटेल सर्कल उदयपुर के पास बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर मुख्य सड़क पर मिलने हेतु कहा गया। इसके पश्चात श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी को कार्यालय से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय नया खाली मेमोरी कार्ड अलमारी से निकालकर शीघ्र ही रवाना होकर परिवादी श्री सतीश जैन से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यवाही करने हेतु आवश्यक हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 5.01 पी.एम. पर श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष वार्ता कर बताया कि मैं कार्यालय से निजी कार से रवाना होकर पटेल सर्कल के पास बिजली विभाग के कार्यालय के बार मुख्य सड़क पर पहुचा तथा परिवादी श्री सतीश जैन से सम्पर्क कर मिला और उनको मेरा परिचय दिया जाने के बाद उन्होने उनका स्वयं तथा उनके भांजी के पुत्र श्री हार्दिक का परिचय दिये जाने के बाद श्री सतीश जैन को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु व बन्द करने की समझाईश दी जाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को समय करीब 04.38 पी.एम. पर चालु कर परिवादी श्री सतीश जैन को सुपुर्द कर आरोपी श्री शेखर मथुरिया से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु रवाना किया गया तो परिवादी बिजली विभाग के कार्यालय के पास ही रवाना होकर पटेल सर्कल मुख्य सड़क पर कार को खड़ा किया तथा मैं परिवादी की कार के पीछे कुछ दूरी बनाये हुए खड़ा रहा तथा कुछ समय पश्चात् एक व्यक्ति परिवादी श्री सतीश जैन की कार के पास आया तथा उसकी कार के आगे की सीट पर बैठ गया तथा उसके बाद परिवादी श्री सतीश जैन ने अपनी कार को पटेल सर्कल से रवाना करते हुए कुछ दूरी पर जाकर मुख्य सड़क के किनारे साईड में खड़े हो गये तथा मैं भी निजी कार से कुछ दूरी पर सड़क के किनारे साईड में खड़ा रहा। कुछ समय पश्चात् पुनः परिवादी श्री सतीश जैन ने अपनी कार को रवाना कर वापिस पटेल सर्कल चौराहा पर आये तत्पश्चात् कार से पुनः कुछ समय पूर्व बैठा हुआ व्यक्ति नीचे उतर गया तत्पश्चात् परिवादी श्री सतीश जैन ने अपनी कार को रवाना किया तथा मैं उनके पीछे-पीछे अपनी निजी कार से रवाना हो गया। परिवादी श्री सतीश जैन ने रेल्वे स्टेशन गेट के सामने सड़क के किनारे कार को खड़ा करने पर मै भी उनके पीछे

अपनी कार को खड़ा कर परिवादी की कार में गया और उन्होने मुझे डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया जिसे मैंने लेकर बन्द कर अपने पास रख लिया तत्पश्चात् परिवादी ने बताया कि रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता श्री शेखर मथुरिया से हो चूकी है जिन्होने मेरी भांजी निलम चितोड़ा के राज्य बीमा क्लेम राषि का पूर्ण राशि पास करवाने के लिये अपने स्वयं एवं उच्च अधिकारियों के लिये कुल एक लाख पचास हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की है तथा एक लाख रूपये बीमा राषि पास होने से पूर्व देने हेतु कहा तथा शेष पचास हजार रूपये बीमा क्लेम पास होने के बाद देने हेतु कहा गया है उक्त वार्ता डिजिटल टेप रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है। इस पर पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री सतीश जैन से वार्ता की गई तो उसके द्वारा उक्त सम्पूर्ण तथ्यो की ताईद करते हुए बताया कि मेरी भांजी का पुत्र हार्दिक के पास अभी एक लाख रूपये की व्यवस्था नही हो पायेगी तथा जितनी राशि की व्यवस्था हार्दिक करके लाता है मैं वो लेकर दिनांक 12.05.2026 को आपके कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही के लिये उपस्थित हो जाउंगा। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई तत्पश्चात पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी को परिवादी श्री सतीश जैन व हार्दिक को वही से रूखसत कर ब्यूरो कार्यालय में डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी ब्यूरो कार्यालय इन्टें उदयपुर पर उपस्थित आये तथा पूर्व में जरिये दूरभाष हालात की ताईद करते हुए पुलिस निरीक्षक को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया गया जिस पर पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर सुना गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन होना पाया गया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखा गया। तत्पश्चात समय करीब 5.50 पी.एम. पर परिवादी श्री सतीश जैन के कहे दिनांक 12.05.2026 उक्त ट्रैप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाह की आवश्यकता होने से पुलिस निरीक्षक द्वारा दो स्वतन्त्र गवाहान की ब्यूरो कार्यालय में तलबी हेतु जरिये पत्रांक 833 दिनांक 11.05.2025 से श्रीमान् आयुक्त नगर निगम उदयपुर को जरिये व्हाटसअप कर दो गवाहान को प्रातः 11.00 बजे ब्यूरो कार्यालय पर भिजवाने हेतु निवेदन किया गया है जिस पर श्रीमान् आयुक्त नगर निगम उदयपुर द्वारा उनके कार्यालय में पदस्थापित श्री गौतम लाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री अखिल गोयल अधीषाषी अभियन्ता, नगर निगम उदयपुर को पाबन्द कर भिजवाने हेतु अवगत कराया गया। तत्पश्चात दिनांक 12-05-2026 को समय करीब 11.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा गवाहान श्री गौतम लाल पुत्र श्री शंकरलाल जी हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री अखिल गोयल पुत्र श्री विष्णुप्रसाद जी गोयल हाल अधीषाषी अभियन्ता, नगर निगम उदयपुर ब्यूरो कार्यालाय इन्टे., उदयपुर पर उपस्थित होकर श्रीमान् आयुक्त नगर निगम उदयपुर कार्यालय का पत्रांक 190 दिनांक 11.05.2026 पेश किया गया। जिसको बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया तथा उक्त दोनो गवाहान को कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। तत्पश्चात् समय करीब 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री सतीश जैन ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया जिन्हे कार्यालय कक्ष में बैठे हुए स्वतन्त्र गवाह श्री गौतम लाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री अखिल गोयल अधीषाषी अभियन्ता, नगर निगम उदयपुर का आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी का परिचय भी दोनों गवाहान से करवाया जाकर पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान से प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही मे बतौर स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत् सहमति चाही गई जिस पर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मोखिक सहमति व्यक्त की तथा परिवादी श्री सतीश जैन द्वारा हस्तलिखित रिपोर्ट दिनांक 07-05-26 को दोनो गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया जिस पर दोनो स्वतत्र गवाहान के भी हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा दोनों गवाहान के समक्ष दिनांक 11.05.2026 को हुई मांग सत्यापन वार्ता के तथयों की पुनः ताईद करते हुए बताया कि आपके द्वारा की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही हेतु रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि एक लाख रूपये लेकर दिनांक 12.05.2026 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था जिस पर मैंने आपको उसी समय बताया कि मेरी भांजी का पुत्र हार्दिक के पास अभी एक लाख रूपये की व्यवस्था नही हो पायेगी तथा जितनी राशि की व्यवस्था हार्दिक करके मुझे देता है मैं लेकर दिनांक 12.05.2026 को आपके कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही के लिये उपस्थित हो जाउंगा। दिनांक 12.05.2026 को भांजी के पुत्र श्री हार्दिक द्वारा रिश्वत राशि की व्यवस्था केवल चालीस हजार रूपये ही करने के कारण उसके बाद शेष पांच-पांच सौ रूपये के डमी (चिल्ड्रन) नोट कुल 120 कुल साठ हजार रूपये के मार्केट से खरीदकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु उपस्थित हुआ हू। परिवादी द्वारा पूर्व में दिनांक 06.05.2026 को आरोपी श्री शेखर मथुरिया से भांजी के राज्य बीमा क्लेम राशि पास करवाने की बातचीत की थी उस दौरान् श्री शेखर मथुरिया द्वारा रिश्वत राशि एक लाख पचास हजार रूपये की मांग की गई थी, उक्त वार्तालाप को परिवादी श्री सतीश जैन द्वारा अपने मोबाईल फोन में रिकॉर्डिग की गई थी जो ब्यूरो कार्यालय में दिनांक 07.05.2026 को उक्त रिकॉर्डशुदा वार्तालाप का मोबाईल पेश किया गया था जिसे तत्समय सुना गया तो परिवादी के तथयों अनुसार बार्तालाप होना पाया गया जिसे कार्यालय के कम्प्यूटर में सुरक्षित सेव किया गया था उसे तथा दिनांक 11.05.2026 को परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई थी। इस प्रकार उक्त मोबाईल वार्ता जो कम्प्यूटर में सेव है उसे व डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ताओं को परिवादी के समक्ष दोनों गवाहान को सुनाया गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन होने की ताईद की गई। तत्पश्चात समय करीब 12.30 पी.एम. पर अग्रिम कार्यवाही हेतु जाब्ते की आवश्यकता होने

पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब भ्र. नि. ब्यूरो उदयपुर को निवेदन किया गया जिस पर उनके कार्यालय में पदस्थापित श्रीमती प्रियंका कानि., श्री मांगीलाल कानि. व श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक ब्यूरो कार्यालय इन्टे पर उपस्थित आये जिन्हे कार्यालय में सुरक्षित बिठाया गया। तत्पश्चात् समय करीब 12.40 पी.एम. पर दिनांक 06.05.2026 को आरोपी श्री शेखर मथुरिया से परिवादी द्वारा उसकी भांजी के राज्य बीमा क्लेम राशि पास करवाने की बातचीत की थी उस दौरान् श्री शेखर मथुरिया द्वारा रिश्वत राशि एक लाख पचास हजार रूपये की मांग की गई थी, उक्त वार्तालाप को परिवादी श्री सतीश जैन द्वारा अपने मोबाईल फोन में रिकॉर्डिंग की गई थी जो ब्यूरो कार्यालय में दिनांक 07.05.2026 को उक्त रिकॉर्डशुदा वार्तालाप का मोबाईल पेश किया गया था जिसे तत्समय सुना जाकर कार्यालय के कम्प्यूटर में सुरक्षित सेव किया गया था जिसे दोनों गवाहान एवं परिवादी के समक्ष श्री अजय कुमार कानि. 456 से कम्प्यूटर में सेव शुदा वार्ता को चलाकर वार्तालाप की फर्द ट्रान्सक्रीप्ट तैयार पृथक से तैयार करवाई जाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये थे। तत्पश्चात् समय करीब 02.20 पी.एम. पर परिवादी का भांजे के पुत्र श्री हार्दिक ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया जिसका परिचय आपस में कराया जाकर पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री सतीश जैन व हार्दिक एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में दिनांक 11.05.2026 को परिवादी श्री सतीश जैन व उनके भांजी के पुत्र श्री हार्दिक तथा आरोपी श्री शेखर मथुरिया के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता जो कि कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हैं। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को श्री अजयकुमार कानि. 456 से ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उपरोक्त मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री अजयकुमार कानि. 456 द्वारा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 03.40 पी.एम. पर उपरोक्त गवाहन के समक्ष पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री सतीश जैन से आरोपी श्री शेखर मथुरिया, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जिला उदयपुर को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 80 नोट कुल राशि 40,000/- रूपये अक्षरे चालीस हजार रूपये भारतीय चलन मुद्रा के करेन्सी नोट एवं 60,000 रूपये के चिल्ड्रन नोट (डमी नोट) पेश किये। उपरोक्त सभी नोटो पर श्रीमती प्रियंका महिला कानि नम्बर 317, भ्रनिब्यूरो उदयपुर से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी जो कार्यालय की अलमारी में रखे ब्यूरो इकाई इन्टे के ट्रेप बॉक्स से मगवाया जाकर कार्यालय कक्ष के टेबल पर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर एवं एक सफेद रंग के लिफाफ पर फिनोफ्थलीन पाउडर श्रीमती प्रियंका महिला कानि नम्बर 317 से लगवाया जाकर उक्त सफेद रंग के लिफाफे में रखकर पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार स्वतंत्र गवाहान श्री अखिल कुमार गोयल, अधिशाषी अभियंता से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट के सामने की बायी जेब की तलाशी लिवाई गई तो कोई वस्तु नहीं पायी गई तथा उक्त पेन्ट के सामने की बायी जेब में कोई शैः न छोड़ते हुये श्रीमती प्रियंका महिला कानि से रखवाये जाकर दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया की कार्यवाही की जाकर उक्त सम्बन्ध में फर्द तैयार की जाकर ट्रैप दल के सदस्यों को आवष्यक दिशा निर्दश दिये गये थे। तत्पश्चात् समय करीब 04.35 पी.एम. पर परिवादी श्री सतीश जैन व हार्दिक को उसकी निजी वाहन से पटेल सर्कल के पास रोड़ पर रूकने की हिदायत देकर रूखसत किया गया तथा श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री अजयकुमार कानि. व श्री लक्ष्मणसिंह क.स. को निजी वाहन से परिवादी की कार के पिछे-पिछे रवाना किया तथा श्री मूनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री अखिल कुमार गोयल व श्री गोतमलाल के साथ पुलिस निरीक्षक डॉ. सोनू शेखावत व श्री मांगीलाल कानि. मय लेपटोप व प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सहित जरिये सरकारी वाहन बोलेरो से ब्यूरो कार्यालय इन्टें उदयपुर से कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उदयपुर के पास स्थित पटेल सर्कल उदयपुर की ओर रवाना होकर कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उदयपुर के पास स्थित पटेल सर्कल उदयपुर के पास समय करीब 04.45 पी.एम. पर पहुचे तथा सभी के वाहनों को एक तरफ साईड में खड़ा करवाया जाकर पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड रिश्वत राशि लेन-देन वार्तालाप रिकॉर्ड करने हेतु चालु कर सुपुर्द किया तत्पश्चात् परिवादी श्री सतीश जैन व उसके साथ हार्दिक को उसकी कार से रवाना किया तो परिवादी द्वारा पटेल सर्कल चौराहे पर एक तरफ अपनी कार को खड़ा कर कार के अन्दर ही बैठा रहा तथा उसकी कार से कुछ दूरी बनाये हुए पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता अपने-अपने वाहनों में बैठे रहे तथा श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक को परिवादी की कार से कुछ दूरी पर आवश्यक हिदायत देकर उपस्थित रहने हेतु रवाना किया गया जो परिवादी की कार से कुछ दूरी बनाये हुए खड़े हो गये। कुछ समय पश्चात् एक व्यक्ति कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उदयपुर की गली से निकलकर परिवादी श्री सतीश जैन की कार के पास आया और परिवादी की कार के आगे वाली फाटक को खोलकर अन्दर बैठ गया। उसके बाद परिवादी श्री सतीश जैन उक्त व्यक्ति को अपने साथ लेकर अपनी कार को स्टार्ट कर पटेल सर्कल चौराहा उदयपुर से रेल्वे स्टेशन उदयपुर की ओर रवाना हुआ तथा वहां से श्री दलपतसिंह व श्री लक्ष्मणसिंह को उसकी निजी वाहन से श्री अजयकुमार कानि. सहित परिवादी की कार के पिछे-पिछे रवाना किया तथा पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं

श्री मांगीलाल कानि. व श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक जरिये सरकारी वाहन बोलेरो से परिवादी की कार के पिछे-पिछे रवाना हुए तो परिवादी पटेल सर्कल उदयपुर से कुछ दूरी पर जाकर सड़क के एक तरफ अपनी कार को रोककर खड़ा हो गया। उसके कुछ समय बाद परिवादी व उसके साथ बैठे हुए व्यक्ति व हार्दिक सहित कार से रवाना होकर पुनः पटेल सर्कल उदयपुर पर आ गये। पुलिस निरीक्षक मय दोनो गवाहान व जाब्ता भी अपने-अपने वाहनों से कुछ दूरी बनाये हुए खड़े होकर परिवादी के निर्धारित ईशारे की इन्तजार में मुकीम रहे। इसी दौरान् समय करीब 05.04 पी.एम. पर परिवादी ने पूर्व निर्धारित ईशारा करने पर परिवादी की कार में बैठा हुआ व्यक्ति साईड के फाटक को खोलकर नीचे उतरा और परिवादी का निर्धारित ईशारा पाकर परिवादी की कार के पास तेज-तेज कदमों चलकर ब्यूरो जाब्ता परिवादी के पास पहुंचे तो परिवादी ने रिश्वती राशि के लेनदेन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की, उस डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को को देने पर टेप रिकॉर्डर को बंद कर सुरक्षित हालात में रखा गया। परिवादी श्री सतीश जैन ने बताया कि श्री शेखर मथुरिया ने डमी नोट साठ हजार व भारतीय चलन मुद्रा के कुल चालीस हजार कुल एक लाख रूपये जो सफेद लिफाफे में रखे हुए को ग्रहण उसके पहनी हुई पेन्ट की बायी जैब में रख लिये है। चूंकि आरोपी श्री शेखर मथुरिया द्वारा दौराने् मांग सत्यापन हुई वार्ता अनुसार अपने एवं उच्च अधिकारियों के नाम पर परिवादी से रिश्वत की मांग करने से पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार आरोपी श्री शेखर मथुरिया को यथास्थिति में घटनास्थल पटेल सर्कल उदयपुर से श्री अजयकुमार कानि. 456, श्री मांगीलाल कानि. व श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक के निजी कार में बिठाया जाकर मौके से पास ही स्थित बिजली विभाग के कार्यालय के अन्दर की ओर जाने वाली सड़क के लिये रवाना किया तथा पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता व दोनों गवाहान व श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक सहित सरकारी वाहन बोलेरो से रवाना हुए तथा श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी को परिवादी की कार के साथ पीछे-पीछे आने हेतु निर्देशित किया गया। हम सभी रवानाशुदा पटेल सर्कल के पास ही स्थित बिजली विभाग के अन्दर की ओर जाने वाली गली में एक तरफ पहुचे और अपने-अपने वाहनों को साईड में खड़ा किया तथा पुलिस निरीक्षक को दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सतीश जैन ने उक्त व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री शेखर मथुरिया है। इस पर पुलिस निरीक्षक तथा स्वतंत्र गवाहान तथा टे्प पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा आरोपी से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री शेखर मथुरिया पुत्र श्री बुध्दीलाल निवासी दारू कुटा मोहल्ला पुलिस थाना डीग जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उदयपुर होना बताया जिस पर परिवादी ने आरोपी की ओर ईशारा कर बताया कि जब अभी कुछ समय पूर्व मैं अपनी कार से पटेल सर्कल पर हार्दिक के साथ खड़ा था और मैंने मेरे मोबाईल से आरोपी श्री शेखर मथुरिया के मोबाईल पर लाउडस्पीकर ऑन कर कॉल किया जिसके कुछ समय बाद श्री शेखर मथुरिया मेरी कार के पास आये और आगे की सीट पर बैठ गये तथा वहां रवाना होकर रेल्वे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क की ओर रवाना होकर कुछ ही दूरी पर एक तरफ जाकर खड़े हो गये। तत्पश्चात् श्री शेखर मथुरिया द्वारा मेरी भांजी निलम चितोड़ा के राज्य बीमा क्लेम राशि पास करवाने की एवज में इनकी मांग के अनुसार एक लाख रूपये रखे हुए सफेद रंग के लिफाफे को इनके हाथों से ग्रहण कर पहने हुए पेन्ट की बायी जेब में रख लिया । तत्पश्चात् वापस कार से रवाना होकर पटेल सर्कल उदयपुर पहुचे और मैंने पूर्व निर्धारित ईशारा किया। इस पर आरोपी श्री शेखर मथुरिया को दोनो गवाहान के समक्ष पुलिस निरीक्षक द्वारा पुछा गया कि परिवादी श्री सतीश जैन से अभी-अभी कुछ समय पूर्व एक लाख रूपये रखे हुए सफेद रंग के लिफाफे से ग्रहण की गई रिश्वत राशि में से स्वयं के अलावा किस उच्च अधिकारी को देने हेतु ली गई है जिसके बारे में पुछने पर श्री शेखर मथुरिया चुप हो गया तथा हाथ जोड़कर बोला कि मुझे बचा लो मेरी नई नोकरी है तथा कहा कि मैंने श्री सतीश जैन से निलम चितोड़ा के राज्य बीमा क्लेम राशि पास करने हेतु अभी कुछ समय पूर्व एक लाख रूपये जो सफेद रंगे के लिफाफे में ग्रहण करे मेरी पेन्ट की बायी जेब में रखे है जो अभी मेरी जेब में ही पड़े है। इस पर पुनः पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री शेखर मथुरिया को ली गई रिश्वत राशि में से किस उच्चा अधिकारी का हिस्सा देना है के बारे में पुछा तो उसने कहा कि यह राशि मेरे स्वयं के लिये ही ग्रहण की है तथा किसी भी अधिकारी ने मुझे रिश्वत राशि लेने हेतु नही कहा है तथा बताया कि मेरे द्वारा श्रीमती निलम चितोड़ा के राज्य बीमा क्लेम की राशि का प्रकरण मेरे द्वारा दिनांक 05.05.2026 को तैयार कर संयुक्त निदेशक श्रीमती श्वेता तिवारी के हस्ताक्षर करवाकर राशि पास होने हेतु ट्रेजरी जयपुर पोर्टल के माध्यम से भिजवाया जा चूका है। इस प्रकार आरोपी श्री शेखर मथुरिया के कहे अनुसार रिश्वत राशि स्वयं के लिये ग्रहण करना बताया जाने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उदयपुर में जाने हेतु आरोपी श्री शेखर मथुरिया वरिष्ठ सहायक को यथास्थिति में वाहन में बिठाकर पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं मय जाब्ता व परिवादी श्री सतीश जैन व हार्दिक सहित अपने-अपने वाहनों से रवाना होकर समय करीब 05.30 पी.एम. पर कार्यालय संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उदयपुर में स्थित संयुक्त निदेशक कक्ष में पहुचे जहां पर उपस्थित श्रीमती श्वेता तिवारी संयुक्त निदेशक को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुए आने के मनतव्य से अवगत कराते हुए कार्यालय कक्ष में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्पादित करने की अनुमति चाही जिस पर उन्होने उनके कक्ष में अग्रिम कार्यवाही करने की सहमति प्रदान की गई। तत्पश्चात् आरोपी श्री शेखर मथुरिया के दोनो हाथो एवं पहने हुए पेन्ट की बायी जैब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से श्री मांगीलाल कानि. से सरकारी वाहन बोलेरा से

ट्रैप बाक्स को मगवाकर ट्रैप बॉक्स मे से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उसमें अलग-अलग साफ पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री शेखर मथुरिया के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धौवण का मिश्रण मटमेला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया मटमेला रंग होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से सिल-चिट करा, चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शीशियों को कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी श्री शेखर मथुरिया के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण मटमेला हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो मटमेला रंग होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शीशियों को श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से सिल-चिट करा, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन पर स्वतन्त्र गवाह श्री गौतमलाल द्वारा आरोपी श्री शेखर मथुरिया के निशादेही से उसके पहने हुए पेन्ट की बायी जैब से एक सफेद रंग का लिफाफा निकालकर पेश किया, उक्त लिफाफे को खोला जाकर जिसे खोला गया तो 500-500 रूपये की दो गड्डिया होना पाया गया, जिसे दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवाई गई तो उसमें 500-500 रूपये के 80 नोट भारतीय चलन मुद्रा के कुल 40,000 रूपये एवं 500-500 रूपये के 120 डमी नोट कुल 60,000 रूपये इस प्रकार कुल 1,00,000 रूपये होना पाया गया। जिस पर पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो नोटों का मिलान हु ब हु होना पाया गया उपरोक्त नोटो को सफेद कागज की चिट लगाकर श्री मुनीर मोहम्मद से नियमानुसार सीलचिट करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क N अंकित कर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये एवं डमी नोट 60,000 रूपये को भी अलग से एक सफेद कपड़े की थैली में रखवाये जाकर सिलबन्द श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क क्ष्ठ अंकित कर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। इसके पश्चात् उक्त रिश्वत राशि जो आरोपी श्री शेखर मथुरिया द्वारा एक सफेद कागज के लिफाफे में रखी हुई ग्रहण की गई थी जिसका भी नियमानुसार धोवन लिया जाना आवश्यक होने से ट्रैप बॉक्स मे से एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी भरकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया जाकर उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर गिलास के रंगहीन घोल में रिश्वत राशि बरामद हुई सफेद रंग के कागज के लिफाफे पर एक कपड़े की छिंदी को घुमाया जाकर उसे उक्त रंगहीन गिलास में डूबोया तो धौवण का मिश्रण गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से सिल-चिट कर, चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क L-1 व L-2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शीशियों को कब्जे ब्यूरो ली गई तथा उक्त कपड़े की छिंदी को जलाकर नष्ट किया गया जाकर उक्त रिश्वत राशि बरामद हुई सफेद रंग के कागज के लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली में रख कर नियमानुसार सीलचिट श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से करा चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क L अंकित किया जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। इसके पश्चात् परिवादी के भांजी निलम चितोड़ा के राज्य बीमा क्लेम प्रकरण की पत्रावली के सम्बन्ध में आरोपी श्री शेखर मथुरिया को पुछा गया तो उसने बताया कि श्रीमती निलम चितोड़ा के राज्य बीमा क्लेम राशि का प्रकरण पारित होने हेतु मेरे द्वारा दिनांक 05.05.2026 पोर्टल के माध्यम से ट्रेजरी जयपुर में भिजवाया जा चूका है तथा समस्त दस्तावेज मेरे कार्यालय कक्ष में स्थित आलमारी में पड़े हुए है। इस पर पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित श्रीमती श्वेता तिवारी संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उदयपुर को श्रीमती निलम चिŸाौड़ा के राज्य बीमा क्लेम प्रकरण की पत्रावली/दस्तावेज चाहने हेतु कहा गया जिस पर उसके द्वारा श्री शेखर मथुरिया के कार्यालय कक्ष से मंगवाकर पेश किया गया तो पाया कि श्रीमती निलम चितोड़ा के राज्य बीमा मृत्यु क्लेम प्रकरण में कुल राशि 3496797 रूपये की राशि पारित होने के लिये श्री शेखर मथुरिया द्वारा दिनांक 05.05.2026 को ट्रेजरी जयपुर भुगतान हेतु भिजवाया जा चूका है उक्त मूल दस्तावेजो की फोटो प्रति करवाई जाकर श्रीमती श्वेता तिवारी से प्रमाणित करवाकर पेज संख्या 1 से 34 तक कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा मूल दस्तावेज श्रीमती श्वेता तिवारी संयुक्त निदेशक को अग्रिम कार्यवाही हेतु लोटाये गये। आरोपी को पहनने हेतु अन्य पेंट मंगवाई जाकर पहनी हुई पेंट को ससम्मान उतरवाकर मंगवाई गई पेंट को पहनाई जाकर ट्रैप बॉक्स मे से एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी भरकर उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी की उतरवाई गई पेन्ट की आगे की बायी जेब को उलटवाकर डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से सिल-चिट कर, चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क P-1 व P-2

अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शीशियों को कब्जे ब्यूरो ली गई। उपरोक्त पेंट की बायी जेब को सुखने के बाद पेंट की आगे की बायी जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये। उक्त पेंट जो बरंग हल्का आसमानी है, को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से सिलचिट बंद कराया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क P अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा पेन्ट पैकेट को कब्जे ब्यूरो ली गई। उक्त बरामदगी की कार्यवाही के दौरान धारा 105, बी.एन.एस.एस. 2023 की पालना करते हुए उक्त रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियोग्राफी पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री अजय कुमार कानि. 456 द्वारा सरकारी मोबाईल फोन (सेमसंग कम्पनी) के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय के मूल रिक्त मेमेारी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी श्री दलपत सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा टाईप की गई। रिश्वती राशि के मांग सत्यापन एवं लेनदेन के वक्त परिवादी तथा आरोपी के मध्य जो वार्तालाप रिकॉर्ड की गयी, को उपस्थितिन के समक्ष सुनाई गई तो परिवादी तथा आरोपी श्री शेखर मथुरिया वरिष्ठ सहायक ने अपनी-अपनी आवाज होना स्वीकार किया। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब की गई जिस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात्बाद कार्यवाही आरोपी श्री शेखर मथुरिया हाल वरिष्ठ सहायक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उदयपुर को उसके जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार आरोपी श्री शेखर मथुरिया हाल वरिष्ठ सहायक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उदयपुर द्वारा परिवादी श्री सतीश जैन की भांजी श्रीमती निलम चितोड़ा के डेथ क्लेम राशि पास करने की एवज् में दिनांक 11.05.2026 दौराने मांग सत्यापन 1,50,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की जाकर 1,00,000 रूपये पहले देने हेतु तथा शेष राशि 50,000 रूपये क्लेम पास होने के बाद देने की स्वीकृति दी गई जिस पर दिनांक 12.05.2026 को दौराने ट्रैप कार्यवाही आरोपी श्री शेखर मथुरिया हाल वरिष्ठ सहायक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उदयपुर द्वारा अपनी मांग अनुसार 1,00,000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करने पर आरोपी को रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया। श्री शेखर मथुरिया हाल वरिष्ठ सहायक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उदयपुर के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनिमय 1988 (यथा संशोधित-2018) प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री शेखर मथुरिया पुत्र श्री बुध्दीलाल निवासी दारू कुटा मोहल्ला पुलिस थाना डीग जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उदयपुर के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित-2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है। भवदीय, (डां. सोनू शेखावत) प्रभारी (पु.नि.) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टे, उदयपुर।.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डां. सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टें उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री शेखर मथुरिया पुत्र श्री बुद्धिलाल, उम्र 29 साल, निवासी दारू कुटा मोहल्ला, पुलिस थाना डीग, जिला भरतपुर, हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उदयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी ...., अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ...को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम .....पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 800-03 दिनांक 15.05.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर 2- निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टें उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।.........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डां. सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टें उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री शेखर मथुरिया पुत्र श्री बुद्धिलाल, उम्र 29 साल, निवासी दारू कुटा मोहल्ला, पुलिस थाना डीग, जिला भरतपुर, हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उदयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री हरिशचन्द्र सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 899 पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 800-03 दिनांक 15.05.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर 2- निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टें उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** HARISHCHANDRA SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 15/05/2026 21:14:14

Name(नाम): PIYUSH DIXIT
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1997				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)